समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) की अधिसूचना

(देखें नियम 6 का उप–नियम (1))

(i) परियोजना का नाम– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) कार्य प्रमंडल, गोड्डा द्वारा अधियाचित, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छठा चरण नयानगर से कुशमारा पथ पैकेज संख्या– JH-0904 निर्माण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार– महागामा अंचल अंतर्गत मौजा– नयानगर नं0– 493, कुल रकवा– 2.45 एकड़ अंचल महागामा परियोजना क्षेत्र और एस0 आई0 ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र– महागामा अंचल अंतर्गत।

(ii) एस0 आई0 ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप निम्नप्रकार होगी :–

समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) समिति, नवदृष्टि, फ्लेट नं0– 2/C, रामेश्वरम अपार्टमेंट, फेज–3, अशोक कुन्ज, अरगोड़ा, राँची को अपने द्वारा प्रस्तुत Detail Term of Reference के सभी शर्तो एवं उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक– 80/भूअ0 दिनांक– 17.01. 2017 द्वारा निर्गत निदेश तथा झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियामावली– 2015 के अध्याय III के नियम 10 के अतर्गत दिये गये सभी दायित्वों को पूर्ण कराने की जिम्मेवारी होगी। मुख्य रूप से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है।

(क) प्रस्तावित परियोजना, जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी,

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,

(ङ) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु–फसली भूमि है और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,

(च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्यसंक्रांत, पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लॉट के लिए उपयोग नियत हो,

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है।

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्त्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,

(ञ) धृतियों का आकर, स्वामित्व पैटर्न, भूमि–वितरण, आवासीय घरों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसंपत्तियों,

(ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्त्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षो में भूमि का उपयोग

इसी प्रक्रिया के साथ–साथ रैयतों के भू–अर्जन के प्रस्ताव व सहमति की कार्रवाई की जानी है।

(iii) एस० आई० ए० के लिए टाईमलाईन निम्नप्रकार होगी :–

(क) अर्जनाधीन क्षेत्र का दौरा एवं रैयतों से सम्पर्क स्थापित करना।

(ख) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाली परिवारों को सूचीवद्ध करना।

(ग) समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस० आई० ए०) प्रतिवेदन एवं एस० आई० एम० पी० पर रैयती की सुनवाई।

(घ) एस० आई० ए० एवं एस० आई० एम० पी० प्रतिवेदन समर्पित करना तथा प्रभावित परिवारों की सहमति प्रक्रिया।

(ङ) एस० आई० ए० से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन।

उपरोक्त टाईम लाईन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से गणना की जायेगी।

(iv) इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा। एस० आई० ए० इकाई की सम्पर्क सूचना निम्नप्राकर है :–

श्री रवि कुमार सिंह, मोबाईल नं०– 9430143460

अपर समाहर्त्ता, गोड्डा, दूरभाष नं०– 8294873800

आम जनों को किसी भी तहत की समस्या होने पर उपरोक्त दूरभाष नं० पर सम्पर्क अथवा कार्यालय में लिखित आवेदन दे सकते है।

उपायुक्त,
गोड्डा।